

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या : — /XVII-B-1/2022-04(C2)/2021
देहरादून : दिनांक : ०३ जनवरी, 2022

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, वक्फ अधिनियम, 1995 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 43, 1995 समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा-14 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से निम्नलिखित तालिकानुसार उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	सदस्य का नाम व पता	नामित श्रेणी	वक्फ अधिनियम की धारा
1.	मौ० शादाब शम्स पुत्र श्री हाजी शमसुद्दीन, निवासी-माजरा, देहरादून।	मा० मुस्लिम सांसद प्रतिनिधि के रूप में सदस्य नामित।	वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-14 की उपधारा (1) (ख) तथा सपठित धारा-14 की उपधारा (3) के अधीन।
2.	मौ० काजी निजामुद्दीन, निवासी-मंगलौर, हरिद्वार।	मा० विधायक।	वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा-14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) के अधीन।
3.	श्री मुनफैत अली, निवासी-पनियाला, रुड़की, हरिद्वार।	मुस्लिम अधिवक्ता।	वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा-14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) के अधीन।
4.	मौ० अनीस पुत्र श्री मौ० हनीफ, निवासी-ग्राम जमौर, तहसील-खटीमा, उधमसिंहनगर।	सामाजिक कार्यकर्ता।	वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा-14 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन।
5.	डॉ० हसन नूरी, निवासी-काशीपुर, उधमसिंहनगर।	सुन्नी मुस्लिम इस्लाम धर्म के ज्ञाता/विद्वान।	वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा-14 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन।
6.	श्रीमती जिया बानो पत्नी श्री शनावर अब्बाज अली नकवी, निवासी-रामनगर, नैनीताल।	शिया मुस्लिम इस्लाम धर्म के ज्ञाता/विद्वान।	वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा-14 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन।
7.	श्रीमती कहकशां नसीं, भारतीय वन सेवा	संयुक्त सचिव स्तर।	वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा-14 की उपधारा (1) के खण्ड (ड.) के अधीन।

2- उपरोक्त नामित श्रेणियों के अतिरिक्त वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा-14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड-(iv) के अधीन, मुतवल्ली कोटे से निर्वाचित श्रेणी के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

क्रमशः.....

3- श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-15 के अधीन यह निर्देश देते हैं कि उक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष के लिए होगा।

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : — (1)/XVII-B-1/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर 200 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : ० / (2)/XVII-B-1/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, कुमायूं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल।
7. सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद्, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
11. समस्त अधिकारीगण/महानुभाव (द्वारा-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड)।
12. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
13. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
11/03/22
(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या : 75 /XVII-B-1/2022-04(03)/2021
देहरादून : दिनांक : 07 जनवरी, 2022

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना 01/XVII-B-1/2022-04(03)/2021 दिनांक 03.01.2022 के द्वारा केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा 14 के प्रावधानानुसार विभिन्न श्रेणियों में उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्यों को नामित किया गया है।

2- तत्क्रम में एतद्वारा श्री राज्यपाल केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा 14(1)(ख)(i) तथा सपठित धारा 14(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री इकबाल अहमद पुत्र श्री इसहाक अहमद, निवासी वार्ड सं.-6, खटीमा (ऊधमसिंह नगर) को मुस्लिम सांसद श्रेणी में उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का सदस्य नामित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-15 के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त सदस्य का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष के लिए होगा।

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 75 (1)/XVII-B-1/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर 200प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

ख्या : 75 (2)/XVII-B-1/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
7. सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
11. समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. संबंधित महानुभाव (द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड)।
13. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

1. 07/01/22

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।